

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईक्टदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



काशीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 295/2021

दपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. भादरराम पुत्र काशीराम जाति जाट उम्र 60 साल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुभाष पुत्र काशीराम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र काशीराम जाति जाट उम्र 63 साल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बोगाराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सावित्री देवी पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुभाष पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. आत्माराम पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. देवीलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. शिमला देवी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. भीमसैन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. अमरज्योति पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शनि मंदिर रोड शाखा संगरिया।
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया
12. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा संगरिया
13. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 5.6.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुवरु हमारे वहाजरी श्री महेन्द्र सिंह भादू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादी सं. 1, श्री सुभाष सैन वकील प्रतिवादी सं. 7 ता 9, श्री संजय साहेवाल वकील प्रतिवादी सं. 10, श्री मनोज मोदी प्रतिवादी सं. 3 ता 5 जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार की जाती है:-

वक 9 एसवीएन के खाता सं. 154/25 रकबा 14.421 है. में मौका पर काशत अनुसार भूमि:-

1. भादरराम पुत्र काशीराम जाति जाट सा. रतनपुरा राहिन 1.651 हि. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा संगरिया की काशत प.नं. 185/198 मु.नं. 23 किला नं. 6/1/0.032, 6/2/0.006 रास्ता, 7/0.253, 8/0.177, 13/0.177, 14/0.253, 15/1/0.215, 15/2/0.038 रास्ता प.नं. 186/198 मु.नं. 24 किला नं. 10/0.253, 11/0.253 कुल 1.657 है.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. सुभाषचन्द्र पुत्र काशीराम के फौत होने के कारण उनके वारिसान सुनीतादेवी पत्नी सुभाषचन्द्र रेखादेवी रेणुदेवी अभिषेक पिसरान सुभाषचन्द्र जाति जाट सा. रतनपुरा राहिन 1.651 हि. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा संगरिया की काश्त:- प.नं. 185/197 मु.नं. 19 किला नं. 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038रास्ता, प.नं. 185/198 मु.नं. 23 किला नं. 3/1/0.160, 3/2/0.017रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025रास्ता, 5/1/0.190, 5/2/0.025रास्ता, 5/3/0.038रास्ता, 6/1/0.183, 6/2/0.032रास्ता कुल 1.657 है.
3. अमरज्योति पुत्री शंकरलाल 0.590 हि. राहिन ओबीसी बैंक संगरिया भीमसैन पुत्र शंकरलाल 2.108 हि. राहिन एचडीएफसी बैंक संगरिया शिमलादेवी पत्नी शंकरलाल 2.109 हि. राहिन एचडीएफसी बैंक संगरिया जाति जाट सा. रतनपुरा की काश्त :- प.नं. 185/198 मु.नं. 23 किला नं. 16/1/0.215, 16/2/0.038रास्ता, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/0.1265, 21/0.1265, 22/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038रास्ता, प.नं. 185/199 मु.नं. 46 किला नं. 1/1/0.215, 1/2/0.038 रास्ता, 2/1/0.215, 2/2/0.038रास्ता, 3/1/0.215, 3/2/0.038रास्ता, 4/1/0.215, 4/2/0.038रास्ता, 5/1/0.215, 5/2/0.038रास्ता, प.नं. 186/198 मु.नं. 24 किला नं. 19/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253, प.नं. 186/199 मु.नं. 45 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025रास्ता कुल 4.807 है.
- साहबराम पुत्र काशीराम जाति जाट सा. रतनपुरा राहिन 3.273 हि. एसबीआई बैंक शाखा संगरिया की काश्त:- प.नं. 184/198 मु.नं. 22 किला नं. 16/0.253, 17/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.253, प.नं. 185/198 मु.नं. 23 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025रास्ता, 3/1/0.068, 3/2/0.008रास्ता, 8/2/0.076, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.253, 13/0.076, 20/0.1265, 21/0.1265 कुल 3.264
5. आत्माराम पुत्र दुलीचन्द जाति जाट सा. रतनपुरा की काश्त प.नं. 184/199 मु.नं. 47 किला नं. 6/1/0.215, 6/2/0.038रास्ता, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253 कुल 1.012 है.
6. सुभाष पुत्र दुलीचन्द जाति जाट सा. रतनपुरा राहिन 1.217 हि. ओबीसी बैंक शाखा संगरिया की काश्त प.नं. 184/199 मु.नं. 47 किला नं. 2/1/0.215, 2/2/0.038रास्ता 3/1/0.215, 3/2/0.038रास्ता, 4/1/0.215, 4/2/0.038रास्ता, 5/1/0.190, 5/2/0.025रास्ता, 5/3/0.038रास्ता कुल 1.012 है.
7. सावित्री देवी पत्नी दुलीचन्द जाति जाट सा. रतनपुरा राहिन 1.217 हि. ओबीसी बैंक शाखा संगरिया की काश्त प.नं. 185/199 मु.नं. 46 किला नं. 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253 कुल 1.012 है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी अन्य न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ.
/023/1269 दिनांक 24.05.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक
भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो
तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया
जावे।

नोट:- इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2021 हिमांशु बनाम भीमसैन वंगैरा में
अस्थाई स्थगन चक 9 एसबीएन डीएलपी की वादग्रस्त भूमि जो इस डिक्री के पृष्ठ
संख्या 2 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 3 में वर्णित भूमि पर दिया गया था, इस न्यायालय
में इस भूमि की हद तक पक्षकारों में आपस में वाद विचाराधीन होने एवं जारी स्थगन
के मध्यनजर अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना उक्त किलो के संबंध में वाद संख्या
18/2021 के निर्णय तक यथावत रखी जावे। बिन्दु संख्या 3 के अलावा इस डिक्री में
वर्णित अन्य बिन्दुओं में उल्लेखित पक्षकारों का नामांतरण संबंधित खातों/किलो
अनुसार नियमानुसार किया जा सकता है जिनमें उक्त निषेधाज्ञा प्रभावित नहीं होती
है।

निज..........मुब्लिक..........बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....5.6.2024.....को खुले
न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया